

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436]

भोपाल, रविवार, दिनांक 8 नवम्बर 2020—कार्तिक 17, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2020

क्र. 84 (14) —वि.निर्वा.—चार—2020—उपचुनाव—134.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 434—म.प्र.—वि.स.—2020 (ए.आर.ओ.) दिनांक 8 नवम्बर 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं :-

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 08 नवंबर, 2020
17 कार्तिक, 1942 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/म0प्र0-वि0स0/2020 (ए.आर.ओ.):— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/म0प्र0-वि0स0/2020 (ए.आर.ओ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2020, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (3) में नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी :-

सारणी

विधान सभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (मतगणना)	अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पोस्टल बैलेट)
(1)	(2)	(3)
13-गोहद (अजा)	—	तहसीलदार, अटेर
15-ग्वालियर	—	नायब तहसीलदार, वृत्त कुलैथ ग्वालियर
16-ग्वालियर पूर्व	—	तहसीलदार, भितरवार
19-डबरा (अजा)	—	नायब तहसीलदार, घाटीगाँव

2. यह नियुक्तियाँ मतों की गणना के पूरे होने के पश्चात प्रभावी नहीं रह जाएगी ।

आदेश से,
हस्ता./
(मधुसूदन गुप्ता)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated:- 8th November, 2020
17 Kartika , 1942 (SAKA)**NOTIFICATION**

No. 434/MP-LA/2020 (ARO) – In pursuance of the provisions of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby, makes the following amendment in its Notification No. 434/MP-LA/2020 (ARO), dated 22nd October, 2020, as amended from time to time; relating to appointment of Assistant Returning Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh namely;

In column (03) of the table appended to the said Notification, the existing entries against the Assembly Constituencies mentioned below shall be substituted with the following entries:-

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency	Additional Assiatnt Returning Officer (Counting)	Additional Assistant Returning Officer (Postal Ballot)
(1)	(2)	(3)
13 – Gohad (SC)	-	Tehsildar, Ater
15 – Gwalior	-	Naib Tehsildar, Circle Kulaith, Gwalior
16 – Gwalior East	-	Tehsildar, Bhitwar
19 – Dabra (SC)	-	Naib Tehsildar, Ghatigaon

2. These appointments will cease to be effective after completion of counting of votes.

By order,
Sd./-
(MADHUSUDAN GUPTA)
Secretary,
Election Commission of India.